UPRB010016432026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।**

**पीठासीन अधिकारी-( अमित पाल सिंह), (एच जे एस )-UP05691**

**<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-667/2026</u>**

**संजय कुमार उम्र 45 साल पुत्र सत्तनलाल, निवासी काजीखेड़ा, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ ।**

**......प्रार्थी/अभियुक्त ।**

**प्रति**

**उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।**

**......विपक्षी/अभियोगी।**

<u>17-03-2026</u>

आवेदक/अभियुक्त **संजय कुमार** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत अपराध संख्या **229/2024**, धारा-**147,148,308,325,323,504,506 भा०दं०सं०,** थाना **शिवगढ़,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा सम्बन्धित थाने में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि- प्रार्थिनी केशा देवी पत्नी विनोद कुमार नि० चक मजरे ओसाह थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली की निवासी है। प्रार्थिनी के देवर दिनेश कुमार पुत्र रामचरन नि० चक मजरे ओसाह थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से मकान की जमीन को लेकर न्यायालय रायबरेली में मुकदमा चल रहा है। उसी बात को लेकर आये दिन धमकी देते रहते थे और कल दिनांक 22/06/2024 समय लगभग 10 (दस बजे) रात्रि को प्रार्थिनी अपने परिवार सहित अपने दरवाजे पर लेटी थी कि प्रार्थिनी के देवर दिनेश कुमार व उनकी पत्नी आरती तथा दिनेश कुमार के साले जिनका नाम प्रार्थिनी को मालूम नही है। प्रार्थिनी के दरवाजे आये और भद्दी 2 गालियाँ देने लगे तब तक दिनेश कुमार के ससुराल पक्ष के लोग चार पहिया से आ गये जिसमें इनके मझ्या ससुर का लड़का जिनका नाम रवि है। दो लोगो के साथ रवि गाडी से उतर कर प्रार्थिनी के पति को मारने लगें रवि के हाथ में कुल्हाड़ी थी प्रार्थिनी के पति को दिनेश पकड़े थे और दिनेश की पत्नी गालियाँ दे रही थी रवि व अन्य लोग मारने में लगे थे। रवि ने कुल्हाड़ी से सिर पर बड़े जोरो से वार किया जिससे सर पे गम्भीर चोट आयी है दिनेश पहले भी प्रार्थिनी को धमकी देते थे कि इनको मार डालूगा अपने ससुराल से लोगो को बुलाकर जान से मार डालने की नियत से सभी ने मार पीट की दिनेश व उनके साले तथा उनके साथ दो अन्य लोग थे सभी लोगो के पास लाढी व डन्डा था दिनेश के साले रवि पुत्र संजय व दो अन्य लोग अज्ञात तथा दिनेश की पत्नी आरती गालियां देते हुए उपरोक्त लोगो को उत्साहित कर रही थी। प्रार्थिनी के पति को सर पर काफी चोट आयी है। प्रार्थिनी को भी चोटे आयी है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थिनी की रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना की गयी। सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आवेदक-अभियुक्त के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त निर्दोष है, उसे रिश्तेदारी के कारण रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है उसे दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी चोटहिल को कोई आघात नही पहुंचाया गया है। आवेदक–अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक–अभियुक्त दिनांक 10–03–2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदक–अभियुक्त विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा । तद्नुसार आवेदक–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक–अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नही है, किन्तु दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

अभियोजन कथानक व प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा लिए गए बचाव के अनुसार दिनांक 22–06–2024 समय 22.00 बजे की मारपीट की कथित घटना के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23–06–2024 को समय 3.21 बजे मु०अप०सं० 229/2024, धारा 147, 148, 308, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराधो हेतु अभियुक्तगण दिनेश कुमार, आरती, रवि व दिनेश का शाला तथा दो व्यक्ति नाम अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम भी अज्ञात व्यक्तियों के रूप में प्रकाश में आने पर प्रार्थी/अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की प्रश्नगत घटना में कोई विशिष्ट सहभागिता संदर्भित नही की गयी है। प्रश्नगत घटना में मुख्य अभियोग दिनेश व रवि के विरूद्ध है तथा बाद विवेचना विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10–03–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अभियोजन कथानक व समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक–अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। तदानुसार उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त **संजय कुमार** को अपराध संख्या **229/2024**, धारा–**147, 148, 308, 325, 323, 504, 506 भा०दं०सं०,** थाना **शिवगढ़,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उसके द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगा ।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगा और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3- यह कि आवेदक-अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा-

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक-अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

**(अमित पाल सिंह)**
UP05691
**सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।**
17-03-2026

Renu Srivastava
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.03.17 15:19:53 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli